तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल.आर/6410/2001/जयपुर** **सरकार बनाम कल्याण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।
2– अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक :– 09.04.2026

यह रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 140/1999 में पारित आदेश दिनांक 26–07–2001 की अभिशंषा में राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, बस्सी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेंस प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि ग्राम नांगल बोहरा, तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 268/1–10 रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा माफी मन्दिर वाके खेरवाल पुजारी दुर्गालाल वल्द रामप्रताप पुरोहित सा0 जयपुर के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में बाछू व नाथू पि0 बोहरीलाल सा0 नांगल बैरसी दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 बनाते समय माफी मंदिर वाके खेरवाल का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी बाछू व नाथू पि0 बोहरीलाल के नाम दर्ज कर दी गयी। बाछू व नाथू के फौत होने पर भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण सं0 47 व 270 से अन्तरित होकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुयी। जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का जो हस्तान्तरण हुआ है व गलत है। अतः उक्त प्रविष्ठियां विलोपित की जाकर भूमि पुनः माफी मंदिर वाके खेरवाल के नाम दर्ज की जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल.आर/6410/2001/जयपुर** **सरकार बनाम कल्याण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया गया, जिसकी आदिनांक तक ए.डी. अप्राप्त होने से इसको समयावधि मानकर तामील मानी जाती है। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजें लगवाई गई परन्तु बावजूद सूचना कोई भी उपस्थित नहीं होने से उप राजकीय अभिभाषक की रेफरेन्स पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 4. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस रेफरेन्स पर सुनी गयी। 5. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी माफी मंदिर वाके खेरवाल की खातेदारी में दर्ज थी। जिसे बाद में माफी मंदिर का नाम विलोपित कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गयी। माफी मन्दिर की भूमि का हस्तान्तरण अप्रार्थी के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से हुआ है। मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) माना गया है। इसलिए माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम पर नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि मंदिर मूर्ति के खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के तहत मन्दिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना है। ऐसी भूमि को किसी भी कानून के तहत अन्य व्यक्ति के नाम इन्द्राज नहीं किया जा सकता है। हल्का पटवारी द्वारा मन्दिर/मूर्ति की भूमि को तत्समय निजी व्यक्ति के खाते में दर्ज कर दिया है जो कि विधि के सर्वथा विपरीत होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः हाल आराजी से विपक्षी के नाम को हटाया जाकर पुनः माफी मन्दिर वाके खेरवाल के नाम पर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जावें। 6. हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत तर्कों पर गहनता से मनन करते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व परिशीलन किया। 7. हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एकीकरण खतौनी बन्दोबस्त ग्राम नांगल बोहरा, तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एल.आर/6410/2001/जयपुर** **सरकार बनाम कल्याण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नम्बर 268/1 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, 2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 3 रकबा 1 बीघा, 4 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 6 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 7 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 8 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 9 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा एवं 10 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा माफी मन्दिर वाके खेरवाल पुजारी दुर्गालाल वल्द रामप्रताप पुरोहित सा0 जयपुर के नाम खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में बाछू व नाथू पि0 भौरीलाल सा0 नांगल बैरसी दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 बनाते समय माफी मंदिर वाके खेरवाल का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी बाछू व नाथू पि0 भौरीलाल के नाम दर्ज कर दी गयी। बाछू व नाथू के फौत होने पर भूमि जरिये विरासत नामान्तरकरण सं0 47 व 270 से अन्तरित होकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुयी। जो वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का जो अविधिक हस्तान्तरण किया गया वह गलत है। एककीरण खतौनी से स्पष्ट है कि उक्त भूमि माफी मंदिर वाके खेरवाल की खातेदारी की थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के तहत मन्दिर/मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है। ऐसी भूमि को किसी भी कानून के तहत अन्य व्यक्ति के नाम इन्द्राज नहीं किया जा सकता है। मन्दिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्ति के खाते में दर्ज कर दिया गया जो कि विधि के सर्वथा विपरीत होकर प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः हाल आराजी से विपक्षीगण के नाम को हटायी जाकर पुनः माफी मन्दिर वाके खेरवाल के नाम पर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

8. विभिन्न न्याय दृष्टान्तों में बहुत स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होने के कारण उनके नाम की भूमि पर किसी भी प्रकार से खेती का कार्य करने पर भी खातेदार नहीं बन सकते हैं। यथा न्याय दृष्टान्त 2002 आर0आर0टी0 पेज 82 में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 46 & 19-Khatedari rights in land of idol or temple cannot be acquired by any one who

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस/एल.आर/6410/2001/जयपुर</u>** **सरकार बनाम कल्याण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	cultivates it as the sub tenant. 9. इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 2002 आर0आर0टी0 पेज 604 में भी प्रतिपादित किया गया है कि – *Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 46 - Land given to Mahant for Bhog-Raaj of diety by the then Ruler Land could not be recorded in name of Mahant/Pujari as khudkast and no tenancy rights accrue to them. Reference made by Collector rightly allowed and righly ordered to record the land in the name of diety.* *following alue in execution* 10. 1995 आर.आर.डी. पेज 418 में उद्धरित किया गया है कि – *(B) Rajasthan Tenancy Act, Sections 5(25), 45(4), 46(1) (e), 180 (1)(b) & 183- After resumption of muafi land belonging to the temple is khudkasht land Murti Mandir is a perpetual minor, subtenancy does not accrue to the tenant. Suit for eviction will lie u/s 183-Murti Mandir is a perpetual minor and a juristic person incapable of cultivating the land. Land held by idol is khud kasht by virtue of resumption of muafi land and Section 5(25) of the R.T. Act- Sub tenancy rights do not accrue to the Pujari, Shebayat, Manager, Kartano red labour-Protection is provided under sections 45(4) and 46(1)(c) - Admission in a suit by Mandir against law is not valid. There can be no estoppel against the statute. Principles of holding over do not apply on khudkasht land belonging to the idol and the tenant cultivating the land will be a trespasser if possession not handed over after refusal by the Mandir however old may be the possession. Period of limitation of one year or three years does not count in such khudkasht land because suit will not lie u/s 180 (1) (b)- Suit for eviction and possession will lie u/s 183 and not u/s 180 (1) (b).* 11. उपरोक्त विवेचन के पश्चात् हमारे विनम्र मतानुसार मन्दिर/मूर्ति की भूमि को बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये, बिना किसी वैध दस्तावेज के केवल हल्का पटवारी द्वारा मनमाने तरीके से मंदिर माफी को हटाकर निजी व्यक्ति के खाते में दर्ज कर दिया गया है यह किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस/एल.आर/6410/2001/जयपुर</u>** **सरकार बनाम कल्याण**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भी प्रकार से विधिसम्मत् नहीं है। अतः इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया रेफरेंस न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

12. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार रेफरेंस को न्यायहित में **स्वीकार** करते हुए ग्राम नांगल बोहरा, तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 268/1 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, 2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 3 रकबा 1 बीघा, 4 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 5 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 6 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 7 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 8 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 9 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा एवं 10 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 28 बीघा 13 बिस्वा माफी मन्दिर वाके खेरवाल पुजारी दुर्गालाल वल्द रामप्रताप पुरोहित सा0 जयपुर अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी को हटाई जाकर पुनः माफी मन्दिर वाके खेरवाल के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण भी निरस्त किये जाते हैं।

13. पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य